

तारीख
हकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए ।

16.3.24 4 नवम्बर 1951 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि
आदेशों को वापिस लेना प्रयोज्य नहीं होगा तथा
इससे संबंधित प्रयोज्य केवल 1951 का रिजल्ट
अंशक हापकी अंशक केवल से (कालीन रिजल्ट)
ज्यादा है 4 नवम्बर 1951 को सुप्रीम कोर्ट ने
अंशक लेना है कि 1951 का रिजल्ट जापस
सिद्ध रखना है)



उपरोक्त अधिकारी, गुरुजगद

